अम्बरीष चन्द्र शर्मा
आई.पी.एस

अतिआवश्यक/फैक्स
परिपत्र सं0:डीजी- 9/2013
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
1-बी0एन0 लहरी मार्ग, लखनऊ
दिनांक: लखनऊ, मार्च 09,2013

प्रिय महोदय,

आप सहमत होंगे कि आम नागरिकों, विभिन्न प्रकार के वाहनों के चालक आदि को यातायात नियमों की जानकारी होने और उनके द्वारा यातायात नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आ सकती है। उक्त को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि इस दिशा में लोगों को और जागरूक किया जाय।

2- उपरोक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए **मार्च 2013 के चतुर्थ सप्ताह** (दिनांक 17-3-13 से 23-3-13 तक) को पूरे प्रदेश में **"सड़क सुरक्षा सप्ताह"** के रूप में मनाया जाय। इस सप्ताह में निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए जनपद पुलिस द्वारा कार्य किया जाय:-

1-वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने वाले चालको के विरूद्ध कार्यवाही।

2-दो पहिया वाहनों को चलाते समय हेलमेट न धारण करने वाले चालकों के विरूद्ध कार्यवाही।

3-शराब पीकर वाहन चलाने तथा तेज गति से वाहन चलाने वालो के विरूद्ध कार्यवाही।

4-जिन स्कूलों में बच्चों की परीक्षाएँ सम्पन्न हो गयी हों वहाँ के प्रधानाचार्य के सहयोग से छात्र/छात्राओं की गोष्ठी कर उन्हें यातायात नियमों/संकेतों की जानकारी देना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करना, हेलमेट लगाने, लापरवाही से वाहन न चलाने आदि महत्वपूर्ण बिन्दुओं को बताना और समझाना।

5-बिना ड्राइविंग लाईसेंस के वाहन चलाने वालों के विरूद्ध कार्यवाही।

6-बिना शीट-बेल्ट धारण किये वाहन चलाने वाले चालकों के विरूद्ध कार्यवाही आदि।

3- उपरोक्त कार्यो को करते समय तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं, सम्भ्रान्त नागरिकों मीडिया कर्मियों, व्यापार मण्डल व ट्रान्सपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों आदि से भी अनुरोध कर उनका सहयोग भी प्राप्त किया जाय। यह कार्यवाही करते समय पुलिसकर्मी किसी से भी दुर्व्यवहार न करें। अपना कार्य शालीनता व कड़ाई से करें।

4- सड़क सुरक्षा सप्ताह में प्रत्येक जनपद में हुई कार्यवाही से मुझे अवगत कराने हेतु संलग्न प्रारूप में कार्यवाही विवरण दिनांक 26-3-2013 तक परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक के माध्यम से यातायात निदेशक को अवश्य भेज दिया जाय।

संलग्नक: प्रारूप

भवदीय,

(अम्बरीष चन्द्र शर्मा)

समस्त एसएसपी/एसपी
प्रभारी जनपद उ0प्र0।

प्रतिलिपि- समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक/परिक्षेत्रीय पुलिस उप महारीक्षक, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।

!- अपर पुलिस महानिदेशक/निदेशक, यातायात उ0प्र0 को सूचनार्थ, प्रगति विवरण से समय से अवगत कराने हेतु प्रेषित।

<u>प्रारूप</u>

<u>दिनांक 17-3-2013 से 23-3-2013 तक ''सड़क सुरक्षा सप्ताह'' अभियान के दौरान की गयी कार्यवाही का प्रारूप</u>

परिक्षेत्र का नाम	जनपद का नाम	कार्यवाही का विवरण							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		वाहन चलाते समय मो0 फोन का प्रयोग करने वालों के विरूद्ध	हेलमेट धारण न करने वालो के विरूद्ध	शराब पीकर व तेज गति से वाहन चलाने वालों के विरूद्ध	बिना ड्राइविंग लाईसेंस के वाहन चलाने वालों के विरूद्ध	बिना शीट-बेल्ट धारण किये चार पहिया वाहन चलाने वालों के विरूद्ध	लगभग कितने स्कूली छात्र/छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी दी गयी	कुल चालानों की संख्या	शमन शुल्क के रूप में वसूल की गयी कुल धनराशि